उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक D/1149/चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनांक 03/03/2023

प्रति,

आयुक्त,
कोष एवं लेखा,
भोपाल।

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं(वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण की जॉच/ अनुमोदन तथा IFMIS में नये वेतनमान की प्रविष्टि किये जाने बावत्।

––00––

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि, मध्यप्रदेश राजपत्र, (भाग–4) भोपाल दिनांक 03 फरवरी, 2023 द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं(वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत रजिस्ट्री द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा विभिन्न जिला न्यायिक स्थापनाओं द्वारा म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण कर उसकी जाचॅ/अनुमोदन कराया जाना हैं।

यहॉ यह भी उल्लेख है कि, उक्त पुनरीक्षण नियम–2022 के अंतर्गत किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण किये जाने पर बकाया अवशेष राशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जाना है, जिसमें प्रथम किश्त 31 मार्च, 2023 तथा अन्य दों किश्तों का भुगतान जून, 2023 तक किये जाने के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये हैं।

अतः आपकी ओर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं(वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 (मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग–4, भोपाल दिनांक 03 फरवरी, 2023) की छायाप्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि, उक्त पुनरीक्षण नियम, 2022 के अंतर्गत रजिस्ट्री द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा विभिन्न जिला न्यायिक स्थापनाओं द्वारा म.प्र. न्यायिक सेवा के अधिकारियों का पुनरीक्षित वेतन निर्धारण की ऑफ लाईन (मैन्युली) जॉच/अनुमोदन किये जाने हेतु समस्त संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा (म.प्र....... राज्य) को निर्देशित करने तथा नये वेतनमान की संरचना IFMIS में प्रविष्टि कराने का कष्ट करें ताकि संबंधित न्यायिक अधिकारीगणों को अवशेष राशि का भुगतान समयावधि में किया जा सकें।

संलग्नः–मध्यप्रदेश राजपत्र(भाग–4),भोपाल
दिनांक 03 फरवरी,2023 की छायाप्रति।

2/3/23

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

पृ0 क्रमांक D/1150 / चार–12–5 / 2023 जबलपुर, दिनांक 03 / 03 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,(म.प्र. राज्य के........समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,(म.प्र. राज्य के........समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2/3/23

रजिस्ट्रार(प्रशासन)

डेमन